# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/00053)

सरस्वती पत्नी स्व. शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. अनिल पिसरान स्व. श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी.तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. विनोद पिसरान स्व. श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी.तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. सुदेश पिसरान स्व. श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी.तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. विजय पिसरान स्व. श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी.तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. रामस्वरूप पिसरान स्व. श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25–26 एस.टी.जी.तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. बिरमा देवी पुत्री स्व. शंकरलाल पत्नी श्री कृष्णलाल गोदारा (बिश्नोई) निवासी 64 एल.एन.पी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। (आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा नाम कलमजन)
7. सोमा पुत्री स्व. शंकरलाल पत्नी श्री देवेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी नजदीक कालूवाला बाईपास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. सुशीला पुत्री स्व. शंकरलाल पत्नी श्री रमेश जाति बिश्नोई निवासी चक 10 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. एकार्थ अवयस्क पुत्र श्री रमेश एवं स्व. द्रोपती बजरिये कुदरती बली पिता स्वय रमेश जाति बिश्नोई निवासी चक 10 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. उप तहसीलदार डबलीराठान जरिये राजकीय अधिवक्ता।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रेम नारायण दुबे – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 5, 7, 8
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः13–01–2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.10.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट सरस्वती वगैरह ने इंतकाल संख्या 620 दिनांक 29.02.2016 चक 16 एसटीजी उपतहसीलदार डबलीराठान के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने व अपीलान्ट सरस्वती के नाम इन्तकाल दर्ज करने की हिदायत सम्बधित ग्राम पंचायत को देने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.10.2018 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी तथा सहायक कलक्टर हनुमानगढ मे विचाराधीन वाद सरस्वती देवी बनाम विनोद आदि के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं पर एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर कहा कि मुतनाजा भूमि चक 16 एस. टी.जी. तहसील हनुमानगढ की 5.440 हैक्टेयर भूमि व चक 25 एस. टी.जी. तहसील पीलीबंगा की 6.325 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार शंकरलाल पुत्र श्री भोखराम जाति विश्नोई की खातेदार की रही है। पूर्व खातेदार शंकरलाल अपीलांट का पति है जिसने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.12.2013 को रूबरू गवाहान उप पंजीयक के तस्दीक करवा दी। अपीलान्ट के पति का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2015 को हो गया। श्री शंकरलाल की उक्त कथित वसीयत से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वसीयतनामा मे वर्णित आराजी भूमि पर वे जीवनपर्यन्त मालिक बने रहेगे व अपना मनचाहा उपयोग व उपभोग कर सकेगा। इसके साथ यह भी इच्छा व्यक्ति की है कि उसके व उसकी पत्नी अपीलान्ट सरस्वती की मृत्यु के पश्चात वसीयतनामा में वर्णित आराजी का इंतकाल अनिल कुमार आदि के नाम मुताबिक वसीयत दर्ज होना चाहिए। स्वीकृत तौर पर अपीलांट जीवित है। ऐसी स्थिति इस इच्छा पत्र के अनुरण में उक्त इंतकाल को स्वीकृत करने की कार्यवाही मूलतःही अवैध व शून्य है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त वसीयत शंकरलाल द्वारा अपनी पत्नी सरस्वती के जीवनवसर हेतु उसकी भरण पोषण हेतु की गई थी। उक्त वसीयत अपीलान्ट की मृत्यु उपरांत ही प्रभावशील व प्रवर्तनीय होनी चाहिए थी। उप तहसीलदार डबली राठान द्वारा दिनांक 29.02.2016 को इंतकाल स्वीकृत का आदेश प्रदान किया गया जिसके अनुसरण में इंतकाल सं. 620 दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त वसीयत अपीलांट की मृत्यु के बाद भी कानूनन लागू हो सकती थी। कानून का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि वसीयतकर्ता द्वारा कोई वसीयत की गई है तो उस वसीयत में उसकी भावना क्या थी यह देखा जाना होता है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे मुख्य आधार यह लिया कि भूमि से संबधित विवाद नियमित राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो एवं इन्तकाल की कार्यताही एक सरसरी कार्यवाही की श्रेणी में आती है तो उस वाद के अंतिम निर्णय के आधार पर इंतकाल स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस बिन्दु का अदालत मातहत ने गलत विवेचन किया है। राजस्व मण्डल एव राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णयो में यह स्पष्ट विवेचन किया गया है कि नियमित वाद में अंतिम रूप से जो निर्णय होगा उसी अनुसार नामातरणकरण स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी लेकिन कोई भी इंतकाल स्वीकृत नही होगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी कनूनन अपीलाट के पति के नाम ही इंतकाल रखा जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर दोनो अदालत मातहत का निर्णय खारिज किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में DNJ 1996 (S.C.) पृष्ठ 331, D. B. पैरा संख्या 12 , RRT 2008 (1) पृष्ठ 228 पैरा संख्या 7 व 8, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 7, 8 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कहा कि मुतनाजा भूमि चक 16 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ की 5.440 हैक्टेयर भूमि व चक 25 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा की 6.325 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार शंकरलाल पुत्र श्री मोखराम जाति विश्नोई की खातेदार की रही है। पूर्व खातेदार शंकरलाल पुत्र मोखराम रेस्पोडेन्ट सं. 5,7,8 के पिता है ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.12.2013

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को रूबरू गवाहान उप पंजीयक के तस्दीक करवा दी गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 5,7,8 के पिता का स्वर्गवास दिनाक 11.11.2015 को हो गया. शंकरलाल की कथित वसीयत दिनांक 05.12.2013 के कथनो से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वसीयतनामा में वर्णित आराजी भूमि पर वे जीवनपर्यन्त मालिक बने रहेगे व अपना मनचाहा उपयोग व उपभोग कर सकेगा। तथा उसकी पत्नी श्रीमती सरस्वती की मृत्यु के पश्चात इंतकाल अनिल कुमार आदि के नाम मुताबिक वसीयत दर्ज व तस्दीक होना चाहिए। स्वीकृत तौर पर अपीलांट जीवित है ऐसी स्थिति में इस इच्छा पत्र के अनुसरण में उक्त इंतकाल को स्वीकृत करने की कार्यवाही मूलत ही अवैध व शून्य है। उक्त वसीयत दिनांक 05.12.2013 को शंकरलाल द्वारा अपनी पत्नी सरस्वती के जीवनबसर हेतु उसकी जीवनकाल में भरण पोषण हेतु की गई थी । उक्त वसीयत रेस्पोडेन्ट सं. 5,7,8 की माता की मृत्यु उपरात ही प्रभावशील व प्रवर्तनीय होनी चाहिए थी। उप तहसीलदार डबली राठान द्वारा दिनांक 29.02.2016 को इंतकाल स्वीकृत का आदेश प्रदान किया गया है । इंतकाल सं. 620 पर अदालत मातहत ने जो निर्णय प्रदान किया हुआ है वो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत का निर्णय अगर निरस्त किया जाता है तो हम रेस्पोडेन्टान को एतराज नही है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उप तहसीलदार डबलीराठान के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 620 दिनांक 29.02.2016 को निरस्त नही कर अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार वसीयतकर्ता श्री शंकरलाल द्वारा दिनांक 05.12.2013 को जो वसीयत पंजीबद्व करवाई गई है के अनुरूप वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 11.11.2015 को होने के पश्चात नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है, क्योकि वसीयत दिनांक 05.12.2013 में वसीयतकर्ता

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने यह इत्तला जाहिर की है कि वसीयतनामा मे वर्णित आराजी पर मिकर व मिकर की पत्नी श्रीमती सरस्वती की मृत्योपरान्त मुन्दरजा वसीसतनामा में वर्णित आराजी का इन्तकाल अनिल कुमार वगैरह के नाम मुताबिक वसीयत दर्ज व तस्दीक होना चाहिए। जबकि अपीलान्ट (जो कि वसीयतकर्ता की पत्नी) के जीवित होते हुए उप तहसीलदार डबलीराठान द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही वसीयत दिनांक 05.12.2013 के संबंध में दिनांक 22.02.2016 को नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये, जिसके अनुसरण मे नामान्तकरण सं. 620 दिनांक 29.02.2016 दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपील में विचारणीय कानूनी बिन्दू निम्नलिखित है।

I. उप तहसीलदार डबलीराठान के द्वारा वसीयत के आधार पर सुनवाई करते हुए जो निर्णय पारित किया है क्या वे यह निर्णय पारित करने को सक्षम थे?

II. क्या उक्त निर्णय धारा 135(2) राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होने के आधार पर प्रथम अपील अति. कलक्टर हनुमानगढ कें क्षैत्राधिकार मे थी?

III. क्या नामान्तकरण सं. 620 दिनांक 29.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के पश्चातवर्ती घटनाक्रम सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 27.04.2016 को दर्ज मु. नं. 111/2016 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए जो कि प्रश्नगत वसीयत के आधार पर सरस्वती बनाम विनोद के विचाराधीन होने का उक्त अपील पर प्रभाव होगा?

जहां तक वसीयत के आधार पर उप तहसीलदार डबलीराठान को सुनवाई हेतु सक्षमता का प्रश्न है इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वसीयत के आधार पर दर्ज किये जाने वाले नामान्तकरण के प्रकरणो में राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत लेण्ड रेकॉर्ड आफिसर की हैसियत से सुनवाई हेतु शक्तियां संबंधित तहसीलदार में निहित है, उक्त आदेश उप तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नही होने के अनुसरण में दर्ज नामान्तकरण सं. 620 दिनांक 29.02.2016 को कायम रखा जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उप तहसीलदार के निर्णय के विरूद्व जो प्रथम अपील

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई में अपील न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध मे सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दर्ज वाद सं. 111/2016 दिनांक 27.04.2016 अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए के लम्बित होने के आधार पर अपील को खारिज की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उप तहसीलदार के क्षैत्राधिकार पर कोई गौर नही किया गया, इसके अलावा प्रकरण धारा 135 (2) राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को अपीलीय क्षैत्राधिकार नही बनता है। अपील में प्रस्तुत की गई वसीयत दिनांक 05.12.2013 के अनुसार वसीयतकर्ता श्री शंकरलाल की मृत्यु दिनांक 11.11.2015 को होने के पश्चात वसीयत में वर्णित आराजी पर वसीयतकर्ता की पत्नी (अपीलान्ट) सरस्वती देवी की मृत्यु उपरान्त वसीयत नामान्तकरण अनिल कुमार वगैरह के पक्ष में किया जाना है, जबकि वसीयत कर्ता की पत्नी के जीवित होते हुए उक्त अहम तथ्य को उप तहसीलदार डबलीराठान के द्वारा गौर नही किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 620 दिनांक 29.02.2016 एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.10.2018 को अपास्त किया जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एल.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर